

हरिसत में होने वाली मौत पर NHRC का ओडिशा सरकार को नोटिस

[स्रोत:टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) ने ओडिशा सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग को कथित तौर पर पुलिस हरिसत में मरने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की सफ़ारिश क्यों नहीं करनी चाहिये।

हरिसत में होने वाली मौत क्या है?

- हरिसत में होने वाली मौत से तात्पर्य उस मौत से है, जो तब होती है जब कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सुधार गृह की हरिसत में होता है। यह वभिन्न कारणों जैसे अत्यधिक बल का प्रयोग, उपेक्षा या अधिकारियों द्वारा दुरुव्यवहार से हो सकता है।
- [भारत के वधि आयोग](#) के अनुसार, किसी लोक सेवक द्वारा गरिफ़्तार या हरिसत में लिये गए व्यक्ति के खिलाफ की गई हिसा [हरिसत में यातना](#) के समान है।



हिरासत में होने वाली मौतें (Custodial Death)


हिरासत में होने वाली मौत या 'कस्टोडियल डेथ' का तात्पर्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी में अथवा सुधार केंद्र में रहते हुए व्यक्तियों की मृत्यु से है।

कारण

- अत्यधिक बल प्रयोग, (चिकित्सा) उपेक्षा, अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार आदि।

भारत में सर्वाधिक कस्टोडियल डेथ (2017-18 से 2021-22)

- केंद्रशासित प्रदेश: दिल्ली (29), जम्मू और कश्मीर (4)
- राज्य: गुजरात (80), महाराष्ट्र (76), उत्तर प्रदेश (41), तमिलनाडु (40) और बिहार (38)



विधिक प्रावधान

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) धारा 41- 2009 में संशोधित; उचित आधार और प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी और हिरासत में रखना
- भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 302, 304, 304A, और 306- हिरासत में यातना के अपराध को शामिल किया गया है
- धारा 330, 331- किसी मामले पर संस्वीकृति (Confession)/ जबरन स्वीकृति प्राप्त करने के लिये चोट पहुँचाने की स्थिति में दंड।

इस प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें **NHRC** को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत प्राप्त होती हैं

कस्टोडियल डेथ से संबन्ध प्रमुख मुद्दे

- यातना/उत्पीड़न रोधी कानूनों की अनुपस्थिति
- अपारदर्शी, कारागार/जेल की खराब व्यवस्था
- वर्चिर्तो/प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग
- दीर्घकालिक, महंगी न्यायिक प्रक्रियाएँ

भारत ने वर्ष 1997 में अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (1985) पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है

कस्टोडियल डेथ बनाम मूल अधिकार

- यातना से संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, वकील से परामर्श का अधिकार (अनुच्छेद 22)

समाधान

- विधिक अधिनियमन, प्रौद्योगिकी, जवाबदेहिता, प्रशिक्षण और सामुदायिक संबंधों को शामिल करते हुए बहु-आयामी रणनीति
- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना (जैसे - सभी पुलिस कर्मियों द्वारा नाम का टैग पहनना जिस पर स्पष्ट रूप से उनके नाम, पदनाम का उल्लेख हो)

हिरासत में होने वाली मौत पर न्यायिक घोषणाएँ:

- कशोर सहि बनाम राजस्थान राज्य (1981): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस द्वारा थरड डगिरी का इस्तेमाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993): जीवन के अधिकार की रक्षा के लिये राज्य की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस की लापरवाही या क्रूरता के परिणामस्वरूप हिरासत में होने वाली मौतों के लिये राज्य मुआवजा देने के लिये उत्तरदायी है।

- **जोगदिर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली अव्यवस्थित गरिफ्तारियों के मुद्दे पर विचार किया। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट में की गई सफ़ाई का हवाला दिया कि अधिकारियों को तब तक गरिफ्तारी नहीं करनी चाहिये जब तक कि वे जघन्य अपराधों से संबंधित न हों।
- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** सर्वोच्च न्यायालय ने हरिसत में यातना और मौतों को रोकने के लिये विशिष्ट दशा-नरिदेश नरिधारित किये, जिनमें गरिफ्तारी मेमो, चकितिसा परीक्षण का अधिकार और कानूनी परामर्श तक पहुँच की आवश्यकताएँ शामिल थीं।

टपिपणी:

- **डी.के. बसु मामले में हरिसत में होने वाली मृत्यु के संबंध में दशा-नरिदेश नरिधारित किये गए:**
 - पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है, कि वह अभियुक्त से जाँच और पूछताछ करते समय थर्ड डगिरी के तरीकों का इस्तेमाल न करें।
 - पुलिस अधिकारियों के कामकाजी माहौल, प्रशिक्षण और बुनियादी मानवीय मूल्यों के साथ उनके उन्मुखीकरण की जाँच करने में ध्यान दिया जाना चाहिये।
 - विधानसभा को धारा 114-B को शामिल करके विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा दी गई सफ़ाई को अपनाया चाहिये।
 - पुलिस को दुरदांत अपराधियों से जानकारी निकालने के लिये संतुलित दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना चाहिये।
 - गरिफ्तारी के समय प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा एक ज्ञापन बनाया जाना चाहिये एवं गरिफ्तारी के समय अभियुक्त के कम से कम एक परिवार के सदस्य को मौजूद रहना चाहिये।
 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) के तहत संविधान की आवश्यकताओं का पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिये।
 - गरिफ्तार व्यक्तिको उसके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये ताकि जब उसे हरिसत में लिया जाए तो वह उन्हें समझ सके।
 - साथ ही, न्यायालय ने कुछ नविकरण उपाय भी प्रदान किये हैं जिनका किसी आरोपी की गरिफ्तारी के समय प्रभारी पुलिस अधिकारी को पालन करना चाहिये।


हरिसत में होने वाली मौतों से संबंधित नैतिक चिन्ताएँ क्या हैं?

- **मानव अधिकारों एवं गरिमा का उल्लंघन:**
 - हर व्यक्तिके साथ गरिमापूर्ण एवं नषिपक्ष व्यवहार किया जाना चाहिये। हरिसत में हिसा/यातना से शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति होने के साथ व्यक्तियों की गरिमा एवं मूल मानवाधिकारों की अवहेलना होती है।
- **विधिके शासन का कमज़ोर होना:**
 - इससे विधिके शासन एवं सम्यक प्रक्रिया जैसे मूल सिद्धांतों पर प्रश्नचिह्न लगता है। विधिप्रवर्तन अधिकारियों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा लागू करने की ज़िम्मेदारी होती है ऐसे में हिसा होने से न्याय, समानता तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसे मूल सिद्धांतों का खंडन होता है।
- **दोष की पूर्वधारणा:**
 - इससे "दोषी साबित होने तक नरिदोष" को प्राप्त अधिकारों की अवहेलना होती है। किसी अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने से पहले व्यक्तियों को यातना देने के साथ नषिपक्ष सुनवाई एवं उचित प्रक्रिया जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करना अमानवीय है।
- **व्यावसायिकता और ईमानदारी की अवहेलना:**
 - पुलिस अधिकारियों से उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें व्यावसायिकता, ईमानदारी और मानवाधिकारों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता शामिल है। हरिसत में हिसा से इन नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होने के साथ इनकी पेशेवर प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगता है।

हरिसत में होने वाली हिसा को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **विधिके प्रणालियों को मज़बूत बनाना:**
 - हरिसत में होने वाली हिसा के आरोपों की त्वरित एवं नषिपक्ष जाँच सुनिश्चिति होनी चाहिये।
 - हरिसत में होने वाली हिसा के आरोपों की त्वरित एवं नषिपक्ष जाँच सुनिश्चिति होनी चाहिये।
 - नषिपक्ष एवं त्वरित सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को दंड देना चाहिये।
- **पुलिस सुधार और संवेदनशीलता:**
 - मानव अधिकारों एवं गरिमा को बनाए रखने के क्रम में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिये। हरिसत में हिसा के मामलों की प्रभावी निगरानी के साथ इनके समाधान हेतु निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
 - विधिप्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेहिता, व्यावसायिकता तथा सहानुभूति संबंधी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, [प्रकाश सहि मामले, 2006](#) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित सात नरिदेश जारी किये। इसमें राजनीतकिरण एवं जवाबदेहति की कमी के साथ पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन को प्रभावति करने वाली प्रणालीगत कमजोरियों जैसे व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
- नागरकि समाज और मानवाधकिार संगठनों का सशक्तीकरण:
 - हरिसत में यातना से पीड़ति व्यक्तियों के लिये नागरकि समाज संगठनों द्वारा उनके लिये आवाज़ उठाने को बढ़ावा दयि जाने की आवश्यकता है।
 - [राष्ट्रीय मानवाधकिार आयोग \(NHRC\)](#) को मानवाधकिार उल्लंघन की कथति तथिसे एक वर्ष के पश्चात् भी कसी भी मामले की जाँच करने की अनुमति दी जानी चाहयि।
 - पीड़ति व्यक्तियों और उनके परिवार का समर्थन कर उन्हें वधकिि सहायता प्रदान की जानी चाहयि।
 - नविरण और न्याय प्रदान के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधकिार नकियों और संगठनों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ⊕ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ⊕ मामलों का स्वतः संज्ञान
- ⊕ मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- ⊕ मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ⊕ मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ⊕ व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ⊕ यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ⊕ मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ⊕ 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ⊕ **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ⊕ **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ⊕ **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- ⊕ 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ⊕ राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ⊕ **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति: वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024



Dristi IAS

नोट:

- वे मानवाधिकार और हरिसत में यातना पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जिनका भारत हस्ताक्षरकर्ता है:
- **यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAT)**

- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय परसंवदि (ICCPR)
- सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उनमूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभसिमय ।
- महिलाओं के वरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर अभसिमय (CEDAW)
- बाल अधिकार अभसिमय
- दवियांग वयकत अधिकार अभसिमय
- आरथक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय परसंवदि (ICESCR)

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अभरिक्षा में होने वाली मौतों से संबंघति नैतिक चतिाएँ कया हैं? इनकी रोकथाम के लयि संभव उपायों की वविचना कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वतित वरष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2011)

1. शकिषा का
2. सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का
3. भोजन का अधिकार

उपरोकृत में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के सरंक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं । उनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का वशिलेण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजयि । (2021)